

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 154/2019 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)
आधार हाउसिंग फाईनेन्स लि. सी-98, 5 वीं मंजिल, सांघी उपसना टावर, सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल,
सी-स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. कुल दीप सिंह राठौड़

- (1) निवासी-प्लॉट नं. 17-18 मंगल विहार नगर, जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर,
- (2) मैसर्स के.डी. कन्सट्रक्शन एण्ड बिल्डर्स अशोक नगर, एसएनजी बिल्डर के सामने, हाईवे रोड,
झोटवाडा, जयपुर एवं
- (3) फ्लैट नं. जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, स्थित प्लॉट नम्बर 33, सोनी कालोनी, भोमिया नगर, कालवाड
रोड, झोटवाडा, जयपुर।

2. श्रीमती प्रीति कंवर

- (1) निवासी-प्लॉट नं. 17-18 मंगल विहार नगर, जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर एवं
- (2) फ्लैट नं. जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, स्थित प्लॉट नम्बर 33, सोनी कालोनी, भोमिया नगर, कालवाड
रोड, झोटवाडा जयपुर।

अप्रार्थी

ऋण एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री गोपेश कुम्भज अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित है।

आदेश

दिनांक 13-8-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को 16.03.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी कुलदीप सिंह राठौड़ के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर स्थित प्लॉट नम्बर 33, सोनी कालोनी, भोमिया नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर, क्षेत्रफल 226.66 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 25,79,148/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

- धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इपदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुआ।
 3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
 4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
 5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.03.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रेकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी कुलदीप सिंह राठौड़ के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर स्थित प्लॉट नम्बर 33, सोनी कालोनी, भोमिया नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर, क्षेत्रफल 226.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
 7. आदेश आज दिनांक 13.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जयरूप सिंह यादव)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर